

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि में अपर निदेशक (प्रशिक्षण) एवं अन्य संकाय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन करना होगा। विपरीत दशा में दोषी अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करने पर यिचार किया जायेगा।

उक्त नामित अधिकारी प्रशिक्षणोपरान्त अवमुक्त किये जाने पर अपने वर्तमान तैनात / सम्बद्धता के स्थान पर अपने नियंत्रक अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। उक्त आदेश कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

21/13

(कामिनी चौहान रतन)
एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठाँकन पत्र संख्या व दिनांक-उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- विशेष सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-1, ३०प्र०शासन, लखनऊ ।
- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके प०स० 1474 द्वि 17.01.2013 के क्रम में ।
- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- एडीशनल कमिशनर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुख्यालय / ज्वाइंट कमिशनर (आईटी०) / डिप्टी कमिशनर (कन्ट्रोल रुम) वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने जोन में तैनात उक्त सूची में अंकित असिस्टेंट कमिशनर, वाणिज्य कर को दिनांक 04.02.2013 से शुरू होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान आँखा ~~प्रस्तुति~~ देने और अपने स्तर से अवमुक्त करते हुये निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।
- संयुक्त निदेशक, वाणिज्य कर, वाणिज्य कर, अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ ।
- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय / ३०प्र० ।
- सम्बन्धित अधिकारियों को नाम से ।
- स्था-१ पटल को दो प्रतियाँ अतिरिक्त ।

Chase

(विनोद कुमार सिंह)
ज्वाइंट कमिशनर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।